



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त—उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक—२३। / सचिव, प्रा०भ० बोर्ड / 2023–24

दिनांक : ३। मई, 2023

विषयः—लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

मा० अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक दिनांक 31 मई, 2023 को प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर के द्वितीय तल स्थित मसजद सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

३।५।२३

सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण

पत्र संख्या— / सचिव, प्रा०भ० बोर्ड / 2023–24

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को संलग्नक सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण



**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक दिनांक  
31 मई, 2023 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा० रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः—

**उपस्थिति:-**

- |     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 01. | डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी     | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |
| 02. | श्री अमर सिंह              | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उ०प्र० लखनऊ, प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। |
| 03. | श्री हिमांशु कुमार गुप्ता  | अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रतिनिधि—जिलाधिकारी, लखनऊ।                                 |
| 04. | श्री महेश वर्मा            | मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।                                |
| 05. | श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।                          |
| 06. | श्रीमती कंचन सुबोध         | संयुक्त आयुक्त—उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।   |
| 07. | डा० कल्याण सिंह            | उपनिदेशक—पर्यटन प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।   |
| 08. | श्री विशाल भारती           | सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।        |
| 09. | श्री पीयूष मौर्या          | अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।                     |
| 10. | श्री पुष्कर शुक्ला         | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |

**अन्य उपस्थिति:-**

- |     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 11. | श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा  | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।           |
| 12. | श्री दीपक सिंह          | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।     |
| 13. | श्री अवधेश कुमार तिवारी | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।     |
| 14. | श्री के०के० गौतम        | नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।         |
| 15. | सुश्री प्रिया सिंह      | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. | श्री देवांशु त्रिवेदी   | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. | श्री शशिभूषण पाठक       | तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण।           |
| 19. | श्री माधवेश कुमार       | उपसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।             |
| 20  | श्री बलराम              | अनुसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।            |

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

मद सं०	विषय	निर्णय
177 / 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
177 / 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

८

९

177/3	भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप कन्वर्जन) तथा उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में चिन्हित टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए प्राप्त आपत्ति /सुझावों पर गठित समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
177/4	वर्तमान लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित पूर्व अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त निम्न प्रस्तावित क्षेत्रों को अनाधिसूचित/अधिसूचित किये जाने एवं प्रस्तावित क्षेत्र को लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
177/5	लखनऊ जनपद में पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्मित पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बांये तटबन्ध पर 4 लेन सड़क को जी-20 रोड के नाम से नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
177/6	अटल बिहारी बाजपेयी इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निकट सीबीडी योजना में फ्यूचर प्लानिंग हेतु उपलब्ध भूखण्ड (क्षेत्रफल 51069.12) पर Fine Dining Street विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
177/7	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
177/8	जानकीपुरम योजना, सेक्टर-एफ में नियोजित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0 पी0-01 (क्षेत्रफल 1040 वर्गमी0) को नर्सिंग होम क्रिया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
177/9	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-ओ के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सीपी-4 (क्षेत्रफल-3515.60 वर्गमी0) को नर्सिंग होम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन-साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

177 / 10	भूखण्ड संख्या—148ए, इण्डस्ट्रियल एरिया योजना, ताल कटोरा रोड, लखनऊ का भू—उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार—विमर्श हुआ। शासनादेश संख्या—2448 / आठ—8—2021-07 एलयूसी / 21 दिनांक 31.12.2021 द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ प्रकरण में औद्योगिक से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्काल में बोर्ड द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन से पूर्व आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए एवं उसका निस्तारण कराने के पश्चात् भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराकर तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 11	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के क्रम में विकास शुल्क दर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विकास शुल्क वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु रु० 2245/- प्रति वर्गमी० निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 12	भूखण्ड संख्या—373 क्षेत्रफल 72 वर्गमी० सेक्टर—ओ, बसंतकुंज योजना के लिपिकीय त्रुटि के कारण उसी सेक्टर में समान क्षेत्रफल के भूखण्ड संख्या—379 क्षेत्रफल 72 वर्गमी० दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 13	चक गंजरिया परियोजना में प्रवर्तन निवेशालय, लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के प्रति देय धनराशि को प्रथम आवंटन प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 30.09.2023 तक समय—सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 14	प्राधिकरण के बल्कसेल अनुभाग को एकमुश्त विक्रय हेतु दिये गये रिक्त फ्लैटों को “पहले आओ, पहले पाओ” योजनान्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 15	ग्राम—उजरियावं की खसरा संख्या—626 मि० रकबा ०—८—६—० बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार, सेक्टर—६ में भूखण्ड संख्या—६ / ९९७ क्षेत्रफल 200 वर्गमी० व भूखण्ड संख्या—६ / १०००, क्षेत्रफल 200 वर्गमी० को श्री ताज अहमद पुत्र श्री मंसूर अली व अन्य के पक्ष में निबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निबंधन की कार्यवाही कराई जाय।
177 / 16	अलीगंज आवासीय योजना में स्थित श्रीमती फूलकुंवर को आवंटित भवन संख्या—एल—V / 146, सेक्टर—एल, अलीगंज योजना का फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

१०-८

६

177 / 17	श्रीमती रहीशा बानो और मो० रफीक की अर्जित भूमि गाटा संख्या—157/21 रक्वा 0—2—10—0 ग्राम—पहाड़पुर की जमीन के बदले 50 प्रतिशत अवमुक्त करने के उपरान्त समायोजित भूखण्ड संख्या—4/327जी, सेक्टर—4, जानकीपुरम् विस्तार की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 18	मोहान रोड आवासीय योजना को विकसित करने हेतु तैयार करायी गयी योजना के ले—आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	योजनान्तर्गत महायोजना मार्ग को यथास्थान प्रस्तावित करते हुए एवम् तदनुसार भूखण्डों का नियोजन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 19	लखनऊ शहर में दिनांक 10 फरवरी, 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एवं दिनांक 13 फरवरी से 15 फरवरी, 2023 तक जी—20 समिट से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
177 / 20	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना के व्यावसायिक भू—उपयोग में नियोजित की गयी योजनाओं की भूमि पर व्यावसायिक से निम्न उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ महायोजना में दर्शित व्यवसायिक भू—उपयोग के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित व्यवसायिक योजना में 2000 वर्गमी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों के भू—तल पर व्यवसायिक क्रिया की अनिवार्यता के साथ अनवर्ती तलों पर व्यवसायिक/ कार्यालय/ आवासीय प्रयोजन मूल व्यवसायिक अनुमन्य एफएआर के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
177 / 21	भूखण्ड संख्या—3/205, नेहरू इन्वलेव, गोमती नगर का समायोजन मा० राज्य आयोग के आदेश दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में शारदा नगर विस्तार के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या—एच—3 पर समायोजन किये जाने के पश्चात् आवंटी की मांग एवं माननीय आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गोमती नगर/ गोमती नगर विस्तार योजना में यथासंभव भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम भूखण्ड की उपलब्धता के सम्बन्ध में सर्वे करा लिया जाय एवं उसके पश्चात् पंजीकरण के लिये पात्रता के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था (आवेदक या उसके परिवार, परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/ पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण या उसके विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिये।) के सम्बन्ध में शपथ—पत्र लेते हुए केस

6 —

b

		टू केस प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाय।
177 / 22	डा० विनोद जोसफ, सचिव, सेन्ट मैरी पॉलिक्लीनिक के दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र के क्रम में सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 में अर्जित ग्राम-जाहिदपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-12/3 एवं खसरा संख्या-13 की अर्जित भूमि के सापेक्ष आगणित धनराशि रु० 15,22,13,600.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए क्षेत्रफल 3459.40 वर्गमी० अर्जित भूमि को सेन्ट मैरी पॉलिक्लीनिक अस्पताल के पक्ष में नियमानुसार नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव में विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि का अर्जन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981 में किया गया था एवं कब्जा 1984 में प्राप्त किया गया तथा अभिनिर्णय 1986 में घोषित किया गया। इसी बीच भू-धारक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक को वर्ष 1983 में ही विक्रय कर दिया गया एवं तभी से आवेदक भूमि पर काबिज है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जनहित में सेन्ट मैरी पॉलिक्लीनिक चैरिटेबल सोसाइटी 120 शैय्या का आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल लगभग 40 वर्षों से संचालित किया जा रहा है एवं इनके द्वारा जनहित में भूमि के नियमितीकरण कराने का अनुरोध किया गया है, चूंकि यह संस्था जनहित के कार्य कर रही है, अतः सम्यक् विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि हॉस्पिटल की भूमि का प्रयोग वर्तमान सर्किल रेट का 1.5 गुना लेते हुए भूमि के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाय तथा प्राधिकरण की योजना के ले-आउट में नर्सिंग होम/अस्पताल नियोजित करते हुए संचालित क्रिया के शमन की कार्यवाही नियमानुसार की जाय।
177 / 23	श्रीमती साधना दीक्षित पत्नी स्व० श्री सुनीत कुमार दीक्षित, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पति की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 24	श्रीमती अंजू सिंह पत्नी स्व० श्री ज्ञानेश्वर सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा अपने पति की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 25	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफटी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इस संशोधन के साथ शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये कि स्ट्रक्चरल सेफटी आडिट प्रत्येक 05 वर्ष पश्चात् कराया जाय एवं इसे फायर एनओसी के साथ लिंक किया जाय।
177 / 26	ऐसे आवंटी जिन्हें प्राधिकरण रजिस्ट्री/कब्जा नहीं दे पा रहा है, के स्थान पर फ्लैट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित नीति का निर्धारण।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा भूखण्ड के स्थान पर प्लैट समायोजन होने की स्थिति में प्रस्तुत प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए 45 दिनों के स्थान पर अवशेष देय धनराशि एकमुश्त 90 दिन में जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट सहित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

८

८

177 / 27	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड स्थित दि इण्डियन होटल कम्पनी लि० (ताज होटल) से अनुलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि क्षेत्रफल 12876.00 वर्ग मीटर को 25 वर्ष के लिये अनुज्ञाप्ति पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रश्नगत भूमि को 25 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष ₹० 14,80,740/- के साथ अगले वित्तीय वर्षों में 10% चक्रवृद्धि के साथ अनुज्ञाप्ति लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 28	ग्राम—जियामऊ, तहसील व जनपद—लखनऊ के खसरा संख्या—196 भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 29	कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि समस्त आवंटियों को उनके द्वारा जमा धनराशि पर MCLR + 1% ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय तथा भविष्य में नई योजना शुरू होने पर नये मूल्य पर यदि कोई पूर्व आवंटी आवेदन करता है, तो उसे आवंटन में वरीयता दी जाय।
177 / 30	उ०प्र० ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी०ओ०डी० जोन्स का जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार टी०ओ०डी० जोन्स का जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को एजेन्सी नामित कराने का निर्णय लिया गया।
177 / 31	प्राधिकरण कार्यों के सम्पादन हेतु प्रवर्तन दल की स्थापना के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 32	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में कार्यों हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से दक्षता के आधार पर आपूर्तित कम्प्यूटर आपरेटर्स के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर श्रम विभाग के शासनादेश के अनुसार अन्य आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी प्रस्ताव के अनुसार मजदूरी दिये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 33	वाहन चालक के रिक्त चल रहे वर्तमान में 20 पदों के सापेक्ष श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव, चालक (निर्धारित वेतनमान का न्यूनतम वेतन पर अन्य भत्ते पर कार्यरत) को समायोजन/विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मार्ग—दर्शन हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
177 / 34	आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के माध्यम से अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय हेतु रीडर/प्रशासनिक अधिकारी/उपाध्यक्ष कैम्प हेतु एक अनुभाग अधिकारी, वित्त एवं लेखा विभाग में वरिष्ठ लिपिक/गणना लिपिक/रिकार्ड सहायक/अधिष्ठान अनुभाग हेतु लिपिक को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

८  
—

b

177 / 35	मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वैभव खण्ड नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर योजना के आवंटियों के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में।	मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम भूखण्ड की उपलब्धता के सम्बन्ध में सर्वे करा लिया जाय एवं उसके पश्चात् पंजीकरण के लिये पात्रता के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था (आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण या उसके विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।) के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लेते हुए केस-टू-केस प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
177 / 36	श्री महेश प्रसाद को बसंतकुंज हरदोई रोड योजना में आश्रयहीन भवन संख्या-एस-2/16 के स्थान पर आश्रयहीन भवन संख्या-एस-1/116 का समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
177 / 37	उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति 2019 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों के चार्जिंग हेतु बुनियादि ढाचे के निर्माण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये कि अन्य कम्पनियों से भी ऑफर मांगे जाए तथा रेवेन्यू शेयर मॉडल का अध्ययन एवं परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
177 / 38	लखनऊ विकास प्राधिकरण में 10 वर्ष से अधिक पुराने 13 अदद अम्बेस्डर वाहनों को निष्ठयोज्य घोषित करने एवं नीलामी कर बेंचे जाने की अनुमति के साथ-साथ निष्ठयोज्य हो रहे वाहनों के प्रतिफूर्ति हेतु 10 अदद वाहनों को क्रय किये जाने तथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग से किराया पद्धति पर वाहनों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गई।
अनु०वि० 177 / 01	मिल रोड पर स्थित ऐशबाग इण्डस्ट्रियल योजना के भूखण्ड संख्या-68/6, 68/बी, 68/सी, 68/एफ, 68/जी, 68/जे एवं 68/के भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मिल रोड पर स्थित ऐशबाग इण्डस्ट्रियल योजना के भूखण्ड संख्या-68/6, 68/बी, 68/सी, 68/एफ, 68/जी, 68/जे एवं 68/के भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक से मिश्रित भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु०वि०  
177 / 02

मा० अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बावत अनार्जित भूमि खसरा संख्या -36 क्षेत्रफल 0.190 है० स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।

बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं की गई है एवं इस भूमि पर ले—आउट में पार्क नियोजित है, अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि को छोड़ते हुए, छोड़ी गई भूमि के समान क्षेत्रफल पर इसी योजना में उपलब्धता के आधार पर पार्क का नियोजन करते हुए नियमानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन की कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

मा०  
सचिव,  
31.५.२३

लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

31.५.२३

(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा० रमेश जैकब)  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक**  
**दिनांक 31.05.2023 की उपस्थिति**

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा० रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल०प्र०प्रा० एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ। <i>Tar/Himanshu Kumar Gupta ADM file</i>	9415705504	<u>1</u>
3.	डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9761831974	<u>b</u>
4.	प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।		
5.	श्री अमर सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ०प्र०, लखनऊ। प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।	9453220724	<u>4</u> 31.5.23
6.	श्री अभय कुमार पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।		
7.	श्री महेश वर्मा, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	8810721004	<u>Q</u>
8.	श्री <del>पंकज</del> मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।	9473942542	<u>Cy-</u>
9.	श्री के०पी० त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	8795810112	<u>a/f</u>
10.	श्रुति कचन सुबोध, संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	7355719130	<u>R</u>
11.	डा० कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि—महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०।	9444666444	<u>945181</u>
12.	श्री विशाल भारती, सहयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।	9415178016	<u>Vishal</u>
13.	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415666695	<u>Banerjee</u>
14.	श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।		